जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक 10.06.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 273/2024 धारा 307/504/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.06.2024 को वादी श्री अनित कुमार पुत्र सत्यपाल सिह निवासी ग्राम गडी बगिची उर्फ पपावर खुर्द थाना कोतवाली शहर बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 02.06.2024 को वह अपने दोस्त रोहित पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम सुआहेडी बुजूर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के साथ थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत सीएनसी पेट्रोल पम्प पर अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ड़लवा लेने के लिए पहुंचा तो 03 अज्ञात लड़को द्वारा वादी के दोस्त रोहित के पैर पर मोटरसाईकिल का टायर चढ़ा देना व विरोध करने पर वादी व वादी के दोस्त रोहित के साथ गाली गलौच की व जान से मारने की नियत से शराब की बोतल से वादी के सिर व चेहरे पर वार किए जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 273/2024 धारा 307/504 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 34 भादवि की वृद्धि की गई व अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र आसिम 2.छोटू उर्फ शाहरूख पुत्र नजाकत निवासीगण मौ0 राधगान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.06.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 273/2024 धारा 307/504/34 भादवि में वांछित अभियुक्त अमन पुत्र आसिम निवासी मौहल्ला राधगान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमन पुत्र आसिम निवासी मौहल्ला राधगान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 शिवकुमार थाना किरतपुर बिजनौर जनपद बिजनौर
2.मुख्य आरक्षी 537 शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.हो0गा0 1090 जयराम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवाला कलां   दिनांक – 10.06.2024

थाना शिवाला कलां क्षेत्रान्तर्गत सडक दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 10.06.2024 को थाना शिवालाकलां पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रतनगढ के सेवाधाम डिग्री कॉलेज के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक UP24AZ2756 सवार सुनील यादव पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम समसपुर बल्लू थाना मुजरिया जनपद बदांयू को टक्कर मार दी है, जिसे गम्भीर अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनील उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मृतक के भाई प्रमोद यादव की तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 279/338/304ए/427 भादवि पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना अफजलगढ दिनॉक 10.06.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि में वांछित 04 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस को ग्राम हिदायतपुर टाण्डा में नसीम (उम्र 50 वर्ष) पुत्र सब्बीर निवासी ग्राम हिदायतपुर टाण्डा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर की गोली लगने से मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। मृतक के भतीजे महबूब अहमद पुत्र शमीम ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि मृतक नसीम के भांजे 1.अखलाक पुत्र अली अहमद ने अपने अन्य साथी अभियुक्तगण 2.आफताब पुत्र अली अहमद 3.राशिद पुत्र मौ0 उमर 4.शहजाद पुत्र अली अहमद 5.रियासत पुत्र मौ0 उमर निवासीगण ग्राम हिदायतपुर टांडा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर 6.शमीम पुत्र बाबू रफीक निवासी ग्राम मीरापुर मोदीवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वादी के चाचा नसीम पर एकराय होकर जान से मारने की नियत से हमला किया तथा अभियुक्त अखलाक उपरोक्त ने अवैध तमंचे से अपने सगे मामा नसीम को गोली मार दी, जिससे नसीम उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि बनाम अखलाक आदि 06 नामजद व एक अज्ञात पंजीकृत किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.अखलाक 2.आफताब पुत्रगण अली अहमद निवासीगण ग्राम हिदायतपुर टाण्डा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.06.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राशिद पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 2. शहजाद पुत्र अशरफ अली उर्फ अली अहमद निवासी ग्राम हिदायतपुर टांडा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर 3.रियासत पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 4. शमीम पुत्र बाबू रफीक निवासी मीरापुर मोदीवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर तथा एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया । अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्वि की गयी । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.राशिद पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.शहजाद पुत्र अशरफ अली उर्फ अली अहमद निवासी ग्राम हिदायतपुर टांडा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3.रियासत पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4.शमीम पुत्र बाबू रफीक निवासी मीरापुर मोदीवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर तथा एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस

अभियुक्त राशिद का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 350/19 धारा 304/308/323/452/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 350/19 धारा 304/308/323/452/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 53/22 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 267/23 धारा 504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

अभियुक्त रियासत का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 350/19 धारा 304/308/323/452/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

अभियुक्त शमीम का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 350/19 धारा 304/308/323/452/504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 267/23 धारा 504/506 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 190/24 धारा 147/148/149/302/34 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष श्री पुष्कर मेहरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.वरि0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 प्रशिक्षु शिवा कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4.उ0नि0 प्रशिक्षु सौरभ कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
5.उ0नि0 प्रशिक्षु शिवा कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
6.कां0 1422 भूपेन्द्र कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
7.कां0 2578 भूदेव कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 10.06.2024**

थाना मंडावर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी की 04 मोटरसाईकिल तथा 02 अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी गये वाहनो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र पुत्र हरपाल सिंह व 2.इस्माइल पुत्र सलीम निवासीगण तिमरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर फर्जी नंबर प्लेट UP20BJ5681 (वास्तविक नंबर UK07DC2994) व मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP20AN9865 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध चाकू भी बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर पप्पू उर्फ पंकज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम डेरियों थाना मंडावर जनपद बिजनौर को चोरी की 02 अन्य मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 181/24 धारा 411/420 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मोटरसाइकिल UK07DC2994 की चोरी के सम्बंध में जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) के थाना पटेलनगर पर मु0अ0सं0 729/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि ये मोटरसाइकिल हमने देहरादून व जनपद बिजनौर से चोरी की है। बरामद अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.देवेन्द्र पुत्र हरपाल सिंह निवासी तिमरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.इस्माइल पुत्र सलीम निवासी तिमरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

3.पप्पू उर्फ पंकज पुत्र बाबूराम निवासी डेरियों थाना मंडावर जनपद बिजनौर 21 वर्ष

बरामदगी –

मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर UK07DC2994

मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर UP20AN9865

मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर CH 03 H 5887

मोटरसाइकिल होण्डा लीवो UP20AZ3019

02 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरि थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. हे0 का0 624 सुनील थाना मंडावर जनपद बिजनौर
3. हे0 का0 373 हरिओम थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. का0 1386 अंकुश थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5. का0 1006 रवींद्र थाना मंडावर जनपद बिजनौर